

कार्यालय— राम सिंह बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला दमोह म.प्र.

—//संशोधित आदेश//—

क्रमांक ३७/२०२४


दमोह, दिनांक 08.04.2024

तहसील न्यायालय हटा में पदस्थ श्रीमती दीप्ति सिंह ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के चिकित्सीय अवकाश पर चले जाने से मैं, राम सिंह बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह म.प्र. धारा 15(2) दं.प्र.सं. में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **माह अप्रैल 2024** के सार्वजनिक अवकाश दिवसों में उनकी लगाई गई रिमांड ड्यूटी को संशोधित करते हुए मुख्यालय हटा पर पदस्थ निम्न न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की लगाई जाकर आवश्यक दंडिक कार्य संपादन के लिए निम्नानुसार अधिकृत करता हूँ—

निम्नलिखित मजिस्ट्रेट द्वारा उनके नाम के आगे दर्शित अवकाश दिवस पर अपने न्यायालय कक्ष में अपरान्ह 03:00 बजे से 05:00 बजे के मध्य आवश्यक दंडिक कार्य संपादित किए जाएंगे—

क्र.	मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिवस माह अप्रैल 2024	रिमांक
तहसील न्यायालय हटा			
5.	श्री तेज सिंह गौड़ जे.एम.एफ.सी. हटा	09.04.2024	—
6.	सुश्री दिव्यानी सिंह जे.एम.एफ.सी. हटा	11.04.2024	—

नोट :- 1. शेष अवकाश दिवसों की नियत रिमांड ड्यूटी एवं अन्य निर्देश यथावत रखे जाते हैं।


  
(राम सिंह बघेल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह  
जिला दमोह म.प्र.

पृष्ठांकन क्र. १३७/२०२४

दमोह, दिनांक 08.04.2024

प्रतिलिपि—

1. कार्यालय, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह/हटा/पथरिया/तेंदूखेड़ा।
3. प्रवर्तन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दमोह।
4. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ दमोह की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं समस्त थाना प्रभारियों को सूचित किए जाने हेतु प्रेषित।

  
(राम सिंह बघेल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दमोह  
जिला दमोह म.प्र.